



**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

क्षेत्रीय कार्यालय : एम.बी.एस. हॉस्पिटल के सामने, सिविल लाईन्स, कोटा  
फोन नं.: 0744-2324706, 8696913817, ई-मेल : recvktaro@centralbank.co.in

**परिशिष्ट IV-क [ नियम 8(6) का परन्तुक देखें ]**  
**अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना**

प्रतिभूति हित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। आम लोगों को और विशेष रूप से ऋणियों व जमानतदारों जिन्हें नीचे दर्शित तालिका के कॉलम ( ए ) में दर्शाया गया है को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे तालिका के कॉलम ( सी ) में दर्शाई गई अचल सम्पत्तियाँ जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक हैं, का वास्तविक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर ऋणियों व जमानतदारों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि जिसे नीचे वर्णित तालिका के कॉलम ( बी ) में दर्शाया गया है, की वसूली हेतु दिनांक व समय जिसे तालिका के कॉलम ( जी ) में दर्शाया गया है के द्वारा आरक्षित मूल्य जिसे तालिका के कॉलम ( डी ) में दर्शाया गया है व अग्रिम धन राशि ( धरोहर राशि ) जिसे तालिका के कॉलम ( एफ ) में दर्शाया गया है, को बेचा जायेगा। सम्पत्ति के निरीक्षण की दिनांक जिसे तालिका के कॉलम ( ई ) में दर्शाया गया है, अग्रिम धन राशि ( धरोहर राशि ) व के.वाई.सी. दस्तावेजात जमा करवाने की अन्तिम तिथि जिसे तालिका के कॉलम ( एफ ) में दर्शित किया गया है।

विक्रय की जा रही प्रतिभूत आस्तियों का विवरण

क्र. सं.	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
	ऋणी व जमानती का नाम व शाखा का नाम	13(2) नोटिस के अनुसार मांग राशि	विक्रय की जा रही प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	अचल सम्पत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय	धरोहर राशि व के.वाई.सी. जमा कराने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की दिनांक व समय	कब्जा लिये जाने की प्रकृति व दिनांक
1.	मैसर्स लक्की स्टोन ( प्रो. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मगन लाल मेघवाल ) शाखा : झालावाड़	रुपये 15,60,226/- दिनांक 03.09.2019 तक एवं इसके पश्चात् पूर्ण अदायगी तक ब्याज व खर्च सहित देय राशि।	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मगन लाल मेघवाल की इंडस्ट्रीयल सम्पत्ति जो एच-297, इंडस्ट्रीयल एरिया, ग्रोथ सेन्टर, झालावाड़, जिला-झालावाड़ ( राज. ) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, बाँचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 700 वर्ग मीटर है। चर्तुसीमाएँ :- पूर्व में: कृषि भूमि, पश्चिम में: रोड़, उत्तर में: प्लॉट नं. 298, दक्षिण में: प्लॉट नं. 296	रु. 7,25,000/- रु. 72,500/- रु. 10,000/-	दिनांक 02.03.2021 समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक	दिनांक 03.03.2021 समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक	दिनांक 04.03.2021 समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक	भौतिक कब्जा दिनांक 07.12.2019
2	मैसर्स जयन्त फूड्स प्रोपराईटर श्रीमती ममता जैन शाखा कार्यालय आई.आई.ए. कोटा	रुपये 1,82,43,416/- दिनांक 01.03.2019 तक एवं इसके पश्चात् पूर्ण अदायगी तक ब्याज व खर्च सहित देय राशि।	औद्योगिक सम्पत्ति ( भूमि एवं भवन प्लॉट एवं मशीनरी ) प्लॉट नं. जी-1/96, एग्रो फूड पार्क, रानपुर कोटा ( राज. ) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, बाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग शामिल हैं। क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है।	रु. 80,20,000/- रु. 8,02,000/- रु. 20,000/-	दिनांक 02.03.2021 समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक	दिनांक 03.03.2021 समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक	दिनांक 04.03.2021 समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक	भौतिक कब्जा दिनांक 05.08.2019
3	मैसर्स KGN स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्रीमती शहनाज पत्नी श्री अब्दुल कय्यूम शाखा : रामगंजमण्डी	रुपये 10,33,123/- दिनांक 30.01.2020 तक एवं इसके पश्चात् पूर्ण अदायगी तक ब्याज व खर्च सहित देय राशि।	श्रीमती शहनाज पत्नी श्री अब्दुल कय्यूम की इण्डस्ट्रीयल सम्पत्ति जो खसरा नं. 555, एन.एच.-12 खीमच, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा ( राज. ) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, बाँचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 2400 वर्ग मीटर है। चर्तुसीमाएँ :- उत्तर में: श्री अब्दुल करीम की कृषि भूमि, दक्षिण में: खान स्टोन खीमच, पूर्व में: कृषि भूमि, पश्चिम में: एन.एच.-12 ( दाबादेह से सुकंते )	रु. 14,73,900/- रु. 1,47,390/- रु. 20,000/-	दिनांक 24.03.2021 समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक	दिनांक 25.03.2021 समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक	दिनांक 26.03.2021 समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक	भौतिक कब्जा दिनांक 13.08.2020

बोलीदाता अपने केवायसी दस्तावेज सेवा प्रदाता से सत्यापन करने के बाद केवायसी दस्तावेज अपलोड कर वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com>, [www.ibapi.in](https://www.ibapi.in) of IBAPI, Portal पर पंजीकरण करा सकता है। एनईफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर के द्वारा ईएमडी ग्लोबल वॉलेट में जमा करा सकते हैं। <https://www.mstcecommerce.com> से चालान फॉर्म जनरेट होने के पश्चात् यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता <https://www.mstcecommerce.com> के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए, कृपया नीचे दी गई सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) अथवा सर्विस प्रदाता का वेबपार्टल <https://www.mstcecommerce.com>, [www.ibapi.in](https://www.ibapi.in) of IBAPI, Portal देखें। इसके अतिरिक्त शाखा प्रबंधक झालावाड़, श्री अरुण कुमार मो. नं. 8696930785 एवं शाखा प्रबंधक आई.आई.ए., कोटा श्री प्रेमशंकर शर्मा मो. नं. 8696930752 व शाखा प्रबंधक रामगंजमण्डी, श्री तरुण कुमार शर्मा मो. नं. 8696930763 से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

**क्र.सं. 1 व 2 के लिये :- सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना**

**क्र.सं. 3 के लिये :- सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना**

धारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को इसके लिए राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया गया है, जैसा की ऊपर वर्णित तारीख और ब्याज के साथ दिया गया है। ई-नीलामी की तारीख से पहले सहायक खर्च, यह विफल करना की संपत्ति नीलामी की जाएगी/बेची जाएगी और शेष राशि पर मुकदमा किया जाएगा, यदि कोई हो तो ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 16.02.2021, स्थान : कोटा

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया